न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मसूदा जिला–अजमेर (राज0)
राजस्व वाद संख्या 35/2017

1. श्री सायर पुत्र श्री गाजी
2. श्री आलम पुत्र श्री गाजी
3. श्री चन्द्रसिंह पुत्र श्री गाजी
4. श्री शम्भूसिंह पुत्र श्री गाजी
5. श्री बुधा पुत्र श्री गाजी
6. श्री प्रताप पुत्र श्री गाजी
7. श्रीमति शांति पुत्री श्री गाजी

समस्त जाति मेहरात निवासियान धोलादाता प्रथम,बडलिया तहसील मसूदा जिला अजमेर (राज.)

––––––––वादीगण

बनाम

1. श्री रहमान पुत्र श्री मोती जाति चीता निवासी अडवानीया द्वितीय,तहसील मसूदा जिला अजमेर (राज.)
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मसूदा जिला अजमेर (राज.)
3. राजस्थान सरकार जरिय श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय जिला अजमेर (राज.)

–––––प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 188 एव 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एव सपठित धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम

अंतिम निर्णय

दिनांक 26.08.2020

इस न्यायालय द्वारा दिनांक 21.08.2019 को निर्णय व प्रारंभिक डिक्री पारीत की गई। जिसके तहत तहसीलदार मसूदा ने डिक्री की अनुपालना में बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर अपने पत्र कमांक भू.अ./2020/3121 दिनांक 26.06.2020 को प्रस्तुत किया गया। उपस्थित वादी गण के अधिवक्ता ने बंटवारा प्रस्ताव के अनुसार फाईनल डिक्री जारी करने का निवेदन किया।

मेरे द्वारा पत्रावली का अद्धोपान्त अवलोकन किया गया, बाद अवलोकन यथाप्रस्ताव बंटवारा स्वीकार योग्य होंने से स्वीकार किया जाता है तथा प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव अनुसार मौजा मसूदा द्वितीय पटवार हल्का मसूदा द्वितीय गिरदावर हल्का मसूदा तहसील मसूदा में स्थित खसरा नंबर 3446/1 रकबा 0.2831 है0 को रहमान पुत्र मोती जाति चीता सा0 देह खातेदार, एव खसरा नंबर 3446/2 रकबा 0.2832 है0 सायर पुत्र गाजी, आलम पुत्र गाजी, चन्द्रसिंह पुत्र गाजी, शम्भूसिंह पुत्र गाजी, बुधा पुत्र गाजी, प्रताप पुत्र श्री गाजी, श्रीमति शांति पुत्री गाजी, जाति मेहरात सा0 देह खातेदार के हिस्से में रखे जाने के आदेश दिये जाते है। तथा हिस्सेनुसार वादीगण संख्या 01 लगायत 07 एव प्रतिवादी सख्या 01 का कब्जा कायम किया जावे तथा नियमानुसार शुल्क प्राप्त कर पत्थर गढी कराये जाने एव यथानुसार राजस्व रेकार्ड में पृथक पृथक खाते कायम करने एंव लगान कायम करने तथा राजस्व नक्शे में यथानुसार तरमीम किये जाने के आदेश तहसीलदार मसूदा को दिये जाते है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें। तदनुसार अंतिम डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 26.08.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2020.09.07 11:35:48 IST
Reason: SelfAttested

(मोहनलाल खटनावलिया)
आर0ए0एस0